संख्या-47/2024/393/18-2-2024/18-2099/116(ल0उ0)/2022

प्रेषक

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषय:-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली(एस0ओ0पी0) में संशोधन/परिवर्द्धन के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने तथा प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-04/2023/519202-2-18/2-18-2099/116/2022, दिनांक 12.01.2023 के माध्यम से नीति की क्रियान्वयन नियमावली (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 संबंधी निर्गत एस0ओ0पी0 में सम्यक विचारोपरान्त एस0ओ0पी0 के बिन्दु संख्या-6.2.4 एवं 12.6.12 में संशोधन/परिवर्द्धन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब एस0ओ0पी0 के बिन्दु संख्या-6.2.4 एवं 12.6.12 को निम्नवत पढ़ा जाये:-

बिन्दु संख्या - 6.2.4

बिन्दु संख्या - 6.2.4 की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित "डीजल जनरेटर सेट्स और बायलर" शब्द समूह के स्थान पर "जनरेटर सेट्स और बायलर" पढ़ा जाये।

बिन्दु संख्या - 12.6.12

बिंदु संख्या - 12.6.12 में "कारखाना अधिनियम का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा" के स्थान पर "इकाई में 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियुक्त होने की दशा में अथवा समय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समय पर निदेशक कारखाना/शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कारखाना अधिनियम का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा" पढ़ा जाये।

2- उपर्युक्त संशोधन के प्राविधान वर्तमान में प्रचलित "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022" के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली (एस0ओ0पी0) पर प्रवृत्त होंगे। उक्त संशोधन/परिवर्द्धन के अतिरिक्त उक्त एस0ओ0पी0 में वर्णित शेष प्राविधान/नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार एस0ओ0पी0 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।